I/58517/2023

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 108 दिनांक 22.02.2022 द्वारा श्री अमृत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04223) के विरूद्ध निर्धारित समय में किस्तवार एवं खानापुरी कार्य पूर्ण नहीं करने, महीला शिविर प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने, स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने एवं कार्यक्षेत्र से प्रायः अनुपस्थित रहने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी थी।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के ई–ऑफिस पत्रांक I/26995 दिनांक 25.06.2022 द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया कि आरोपित द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है एवं अनुपस्थिति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए क्षमा याचना की गयी है।

प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपित द्वारा किए गए क्षमा याचना के दृष्टिगत तत्काल श्री अमृत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04223) के अनुपस्थित अवधि के मानदेय की कटौती करते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है। यदि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में की जाएगी, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

Signed by Jai Singh
Date: 18-03-2023 20:43:28

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. श्री अमृत कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04223), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा।
2. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।